

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

आ/सं०-६/एन०-०८-२४५/२०१८-.....

/पटना, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-२९७(६), दिनांक-०१.०३.२०१९ द्वारा नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम-धनहारा, पोस्ट-मानिक चौक, थाना-रून्नी सैदपुर, सीतामढ़ी को ६० सीटों पर नामांकन के साथ जी०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई थी।

पुनः संस्थान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-६२१(६), दिनांक-१७.०४.२०२३ द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के निरीक्षणोपरान्त अध्यक्ष डा० सुरेन्द्र कुमार चौधरी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के द्वारा पत्रांक-११२/अ०नि०को०, दिनांक-२८.०४.२०२३ के माध्यम से समर्पित संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त दशरथ प्रसाद सिंह ट्रस्ट फॉर इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च कम्युनिटी डेवलपमेंट, नरसिंहपुर, भाया-रमना, मुशहरी, मुजफ्फरपुर द्वारा संचालित नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम-धनहारा, पोस्ट-मानिक चौक, थाना-रून्नी सैदपुर, सीतामढ़ी में जी०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु ६० (साठ) सीटों से बढ़ाकर १०० (एक सौ) सीटों पर नामांकन क्षमता के साथ नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ के नियम-४(iii) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ मान्यता प्रदान किया जाता है-

- (क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगे।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त कर लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से ५०% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (ii) असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

४ - इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/

(शैलेश कुमार)

उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : ६/एन०-०८-२४५/२०१८... 151(6)

पटना दिनांक 12/01/2024

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, ८वां तल्ल, एन०बी०सी०सी० सेंटर, प्लॉट न०-२, कम्युनिटी सेंटर, ओखला फेज-०१, नई दिल्ली-११००२०/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-विशेष कार्य पदाधिकारी, बी०सी०ई०सी०ई०बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-८००००१ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव, नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम-धनहारा, पोस्ट-मानिक चौक, थाना-रून्नी सैदपुर, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।